प्रेषक :– शाखा E-2,

का0 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा।

प्रेषित :– जन सूचना अधिकारी–कम–उप जिला शिक्षा अधिकारी,

का0 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा।

यादि क्रमाकः–ई–2–2024/2165

दिनांक :– 30–09–2024

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत Smt Seema Kumari Care of Savita D/o Nobat village Alimudiupur Farukhnagar Gurugram.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जनसूचना 2005

आपके यादी क्रमांक जनसूचना–2005/2024/1819 दिनांक 22–08–2024 के संदर्भ में।

मद न0–1 के तहत मांगी. गई सूचना के संदर्भ में निदेशालय से प्राप्त 3 पत्रों की प्रति संलग्न है।

मद न0–2 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में निदेशालय द्वारा जांच हेतू अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेशालय में उपस्थित होने बारे लिखा गया था। उपस्थिति रिपोर्ट निदेशालय में उपलब्ध है।

मद न0–3 के तहत मांगी गई सूचना निम्न है–

पच/ईमेल	किस कर्मचारी/अधिकारी को बुलाया गया।	पत्र/ईमेल मौलिक शिक्षा से प्राप्त	संबधित कर्मचारी/अधिकारी को दी गई सूचना का माध्यम व दिनांक	यदि सूचना नही दी गई तो कारण
पहला	1 श्री आत्म प्रकाश डी0ई0ई0ओ0 2 श्री नरेन्द्र कुमार लिपिक 3 श्री राजेश कुमाार लिपिक	ईमेल	व्यक्तिगत रूप से सूचना दी गई।	
दूसरा	1 श्री आत्म प्रकाश डी0ई0ई0ओ0 2 श्री नरेन्द्र कुमार लिपिक 3 श्री राजेश कुमाार लिपिक 4 शिकायकर्ता	ईमेल	इस संदर्भ में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।	

तीसरा	1 श्री आत्म प्रकाश डी0ई0ई0ओ0 2 श्री नरेन्द्र कुमार लिपिक 3 श्री राजेश कुमाार लिपिक 4 शिकायतकर्ता	ईमेल	कार्यालय के कर्मचारी / अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी गई। तथा खंड शिक्षा अधिकारी सिरसा तथा विद्यालय को ईमेल।	

मद न0–4 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में कार्यालय जि0मौ0शि0अ0 सिरसा द्वारा डी0एम0सी0 को भेजे गए पत्र की प्रति साथ संलग्न है।

मद न0–5 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में डी0एम0सी0 कार्यालय सिरसा द्वारा भेजे गए पत्र की प्रति संलग्न है।

मद न0–6 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में जांच चल रही है जांच उपरांत सूचना भेज दी जाएगी।

मद न0–7 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट साथ संलग्न है।

मद न0–8 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में जांच कमेटी द्वारा जांच अधूरी रहने बारे लिखा गया । अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई ।

मद न0–9 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट साथ संलग्न है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

शाखा E-2
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
सिरसा।

पृ० नं- 1

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकूला।

सेवा में

1.निदेशक
एस0सी0आर0टी0, गुरूग्राम।

2.जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
सिरसा।

यादी क्रमांक 1/139–2023 जे0डी0एम0
दिनांक, पंचकूला 24.11.2023

Subject: To inquiry the complaint of Sh. Atam Parkash, Joint Director the then DEEO Sirsa.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच दिनांक 28.11.2023 को प्रात 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में निदेशालय के प्रथम तल पर रखी गई है। निदेशक एस0सी0आर0टी0, गुरूग्राम से अनुरोध है कि श्री आत्म प्रकाश संयुक्त निदेशक को जांच में निर्धारित समय व स्थान पर भाग लेने हेतू आदेशित करने का कष्ट करे।

इसके अतिरिक्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा अपने कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार लिपिक व श्री राजेश कुमार लिपिक कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी सिरसा को जांच में भाग लेने हेतू भेजे।

24/xi/23

संयुक्त निदेशक
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।
दिनांक, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक --सम--

इसकी एक प्रति अधीक्षक HRG-I शाखा को भेजते हुए लिखा जाता है कि दिंनाक 28.11.2023 को उपरोक्त अंकित समय व स्थान पर उक्त शिकायत की प्रति व रिकार्ड भिजवाना सुनिश्चित करे।

संयुक्त निदेशक
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

सदन (1)

प्रेषक,

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकूला।

सेवा में,

1. निदेशक
एस0सी0आर0टी0, गुरुग्राम।

2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
सिरसा।

यादी क्रमांक 1/154–2023 जे0डी0एम0
दिनांक, पंचकूला 06.12.2023

Subject: To inquiry the complaint of Sh. Atam Parkash, Joint Director the then DEEO Sirsa.

उपरोक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी के पत्र क्रमांक 1/139–2023 जे0डी0एम0 व दिनांक 24.11.2023 के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह जांच दिनांक 28.11.2023 को प्रात 11.30 बजे को रखी गई थी परन्तु ब्रांच द्वारा सम्बंधित फाईल समय से प्रस्तुत न करने के कारण जांच पूर्ण नही हो सकी इसलिए जांच दिनांक 14.12.2023 को प्रात 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में निदेशालय के प्रथम तल पर रखी गई है। निदेशक एस0सी0आर0टी0, गुरुग्राम से अनुरोध है कि Retired श्री आत्म प्रकाश संयुक्त निदेशक को जांच में निर्धारित समय व स्थान पर भाग लेने हेतू आदेशित करने का कष्ट करे।

इसके अतिरिक्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा अपने कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार लिपिक व श्री राजेश कुमार लिपिक कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी सिरसा व शिकायतकर्ता को भी जांच में भाग लेनें हेतू भेजे।

6/12/23

संयुक्त निदेशक
कृतेः निदेशक. मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक –सम– **दिनांक, पंचकूला**

इसकी एक प्रति अधीक्षक ~~HRG-I~~ HRME-II शाखा को भेजते हुए लिखा जाता है कि दिंनाक 14.12.2023 को उपरोक्त अंकित समय व स्थन पर उक्त शिकायत की प्रति व रिकार्ड भिजवाना सुनिश्चित करे।

संयुक्त निदेशक
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

Email 14/12/23

E-2 14-12-23

मद नं. 1

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकूला।

सेवा में

1.निदेशक
एस0सी0आर0टी0, गुरुग्राम।

2.जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
सिरसा।

यादी क्रमांक 1/164–2023 जे0डी0एम0
दिनांक, पंचकूला 14.12.2023

Subject: To inquiry the complaint of Sh. Atam Parkash, Joint Director the then DEEO Sirsa.

उपरोक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी के पत्र क्रमांक 1/139–2023 जे0डी0एम0 व दिनांक 24.11.2023 व 1/154–2023 जे0डी0एम0 दिनांक 06.12.2023 के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह जांच दिनांक 28.11.2023 को प्रातः 11.30 बजे को रखी गई थी परन्तु ब्रांच द्वारा सम्बंधित फाईल समय से प्रस्तुत न करने के कारण जांच पूर्ण नही हो सकी इसलिए जांच दिनांक 14.12.2023 को प्रात 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में निदेशालय के प्रथम तल पर रखी गई थी। परन्तु दिनांक 13.12.2023 को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा द्वारा भेजी गई ईमेल में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि शिकायत से सम्बंधित रिकार्ड जिला नगर आयुक्त कार्यालय से दिनांक 13.12.2023 को प्राप्त होगा।

अतः उनके अनुरोध के अनुसार जांच में अंतिम अवसर देते हुए जांच दिनांक **21.12.2023 को प्रातः 11.30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में निदेशालय के प्रथम तल पर रखी गई है। निदेशक एस0सी0आर0टी0, गुरुग्राम से अनुरोध है कि Retired श्री आत्म प्रकाश संयुक्त निदेशक को जांच में निर्धारित समय व स्थान पर भाग लेने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा अपने कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार लिपिक व श्री राजेश कुमार लिपिक कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी सिरसा व शिकायतकर्ता को भी जांच में भाग लेने हेतु भेजे।

Sd/- 14/12/23

संयुक्त निदेशक
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।
दिनांक, पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक –सम–

इसकी एक प्रति अधीक्षक HRME-II शाखा को भेजते हुए लिखा जाता है कि दिनांक 21.12.2023 को उपरोक्त अंकित समय व स्थान पर उक्त शिकायत की प्रति व रिकार्ड भिजवाना सुनिश्चित करे।

Sd/-

संयुक्त निदेशक
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

मद नं. (4)

O/o District Elementary Education Officer, Sirsa
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा–125055 (हरियाणा)।
शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
Lead me from Darkness to Light
off: Room No. 86, 3rd Floor, Mini Secretariat, Barnala Road, Sirsa. Pin Code 125055 (Harynana) Tel. 01666-247899
E-mail: deeosirsa2@gmail.com, deeosirsa1@gmail.com

सेवा में

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

क्रमांक :– ई0–2–23/1158
दिनांक :– 29–05–2023

विषय :– महिला Harassment मामले के सम्बन्ध में– श्रीमती सीमा रानी, जे0बी0टी0, रा0प्रा0पा0 अनाज मण्डी, सिरसा।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्रांक 4905–08 दिनांक 29–05–2023 के सन्दर्भ में लिखा जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार, लिपिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा के द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें लिखा है कि मेरे खिलाफ श्रीमती सीमा रानी, जे0बी0टी0, रा0प्रा0पा0 अनाज मण्डी, सिरसा के द्वारा शिकायत की गई है। जिसमें आपके द्वारा जाँच कमेटी गठित की गई है, जिसकी जाँच दिनांक 30–05–2023 को आपके आदेशानुसार रूम न0 66 में सुबह 11.00 बजे की जानी निश्चित की गई है। महोदय जी आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 30–05–2023 को पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होना है। इसलिये मैं उपरोक्त तिथि को जाँच कमेटी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस जाँच को आगे बढ़ाने का कष्ट करें, ताकि मैं समय पर जाँच कमेटी के समक्ष उपस्थित उपलब्ध हो सकूं।

जिसकी प्रति आपको अनुरोध के साथ भेजते हुऐ लिखा जाता है कि दिनांक 30–05–2023 को होने वाली जाँच की तिथि को आगे बढ़ाने का कष्ट करें ताकि वह अपने पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

29/5/23

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
सिरसा।

प्रेषक (5)

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

1. श्री आत्मप्रकाश, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अब जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा।
2. प्रधानाचार्य, रा0व0म0 विद्यालय, अनाज मंडी, सिरसा।
3. श्री राजेश कुमार, लिपिक, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
4. श्री नरेन्द्र लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।

कमांक 8797-8800 /डी.एम.सी. दिनांक 5-10-23

विषयः— **महिला Harassment मामले के संबंध में – श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा।**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 8722—29 दिनांक 04.10.2023 की निरंतरता में।

2. विषयाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त शिकायत की जांच जिला नगर आयुक्त महोदया, सिरसा द्वारा दिनांक 06.10.2023 को दोपहर 11:00 बजे इस कार्यालय के कमरा नं0 66 में की जानी निश्चित की गई थी। प्रशासनिक कारणो की वजह से अब यह जांच दिनांक 10.10.2023 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में की जानी है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि आप निर्धारित समय व स्थान पर शिकायत के संबंध में सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें। जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा से अनुरोध है कि अपने स्तर पर अपने विभाग से संबंधित उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भी जांच में उपस्थित होने के निर्देश देवें।

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 कमांक 8801-2 /डीएमसी दिनांक 5-10-23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर लिखा जाता है कि आप भी जांच कमेटी के सदस्य होने के नाते निर्धारित समय व स्थान पर जांच में भाग लेने हेतु उपस्थित होवें।

1. उप–अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सिरसा
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढां।

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 कमांक 8803 /डीएमसी दिनांक 5-10-23

इसकी एक प्रति श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा को भेजकर लिखा जाता है कि आप अपनी शिकायत के संबंध में उपरोक्त निर्धारित समय व स्थान पर सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

मेल (5)

प्रेषक

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

1. श्री आत्मप्रकाश, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अब जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा।
2. प्रधानाचार्य, रा0व0मा0 विद्यालय, अनाज मंडी, सिरसा।
3. श्री राजेश कुमार, लिपिक, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
4. श्री नरेन्द्र लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।

क्रमांक 9258-61 /डी.एम.सी. दिनांक :- 25-10-23

विषयः– महिला **Harassment** मामले के संबंध में – **श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा।**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9184–90 दिनांक 18.10.2023 की निरंतरता में।

2. विषयाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त शिकायत की जांच जिला नगर आयुक्त महोदया, सिरसा द्वारा दिनांक 26.10.2023 को प्रातः 11:00 बजे इस कार्यालय के कमरा नं0 66 में की जानी निश्चित की गई थी। ***प्रशासनिक कारणो की वजह से अब यह जांच दिनांक 26.10.2023 को सांय 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में की जानी है।***

3. अतः आपसे अनुरोध है कि आप निर्धारित समय व स्थान पर शिकायत के संबंध में सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें। जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा से अनुरोध है कि अपने स्तर पर अपने विभाग से संबंधित उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भी जांच में उपस्थित होने के निर्देश देंं।

कृते: जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 क्रमांक 9262-63 /डीएमसी दिनांक :- 25-10-23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर लिखा जाता है कि आप भी जांच कमेटी के सदस्य होने के नाते निर्धारित समय व स्थान पर जांच में भाग लेने हेतु उपस्थित होवें।

1. उप–अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सिरसा
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढां।

कृते: जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 क्रमांक 9264 /डीएमसी दिनांक :- 25-10-23

इसकी एक प्रति श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा को भेजकर लिखा जाता है कि आप अपनी शिकायत के संबंध में उपरोक्त निर्धारित समय व स्थान पर सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें।

कृते: जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

5

प्रेषक

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

श्री नरेन्द्र कुमार, लिपिक,
कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
सिरसा।

पत्र कमांक 9253 /डीएमसी दिनांक 25|X|23

विषयः— **महिला Harrasment के संबंध में— श्रीमती सीमा रानी, जे0बी0टी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0, अनाज मण्डी, सिरसा।**

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन दिनांक 25.10.2023 के संबंध में आपका अनुरोध नामंजुर करते हुए आपको लिखा जाता है कि कल दिनांक 26.10.2023 को प्रातः 11:00 बजे जिला नगर आयुक्त महोदय के समक्ष शिकायत की जांच के संबंध में पिछली सुनवाई दिनांक 17.10.2023 के दौरान मांगे गये दस्तावेजों सहित निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही के लिए आप स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगें।

कृतेः जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 कमांक 9254 /डीएमसी दिनांक 25|X|23

इसकी एक प्रति जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा को भेजकर लिखा जाता है कि संबंधित कर्मचारी को शिकायत की जांच में दस्तावेजों सहित शामिल होने के लिए निर्देशित करें।

कृतेः जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

(5)

प्रेषक

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

1. श्री आत्मप्रकाश, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अब जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा।
2. प्रधानाचार्य, रा0व0म0 विद्यालय, अनाज मंडी, सिरसा।
3. श्री राजेश कुमार, लिपिक, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
4. श्री नरेन्द्र लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।

कमांक 9258-61 /डी.एम.सी. दिनांक :- 25-10-23

विषयः— **महिला Harassment मामले के संबंध में – श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा।**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 9184–90 दिनांक 18.10.2023 की निरंतरता में।

2. विषयाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त शिकायत की जांच जिला नगर आयुक्त महोदया, सिरसा द्वारा दिनांक 26.10.2023 को प्रातः 11:00 बजे इस कार्यालय के कमरा नं0 66 में की जानी निश्चित की गई थी। ***प्रशासनिक कारणो की वजह से अब यह जांच दिनांक 26.10.2023 को सांय 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में की जानी है।***

3. अतः आपसे अनुरोध है कि आप निर्धारित समय व स्थान पर शिकायत के संबंध में सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें। जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा से अनुरोध है कि अपने स्तर पर अपने विभाग से संबंधित उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भी जांच में उपस्थित होने के निर्देश देवें।

कृते: जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 कमांक 9262-63 /डीएमसी दिनांक :- 25-10-23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर लिखा जाता है कि आप भी जांच कमेटी के सदस्य होने के नाते निर्धारित समय व स्थान पर जांच में भाग लेने हेतु उपस्थित होवें।

1. उप–अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सिरसा
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढां।

कृते: जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 कमांक 9264 /डीएमसी दिनांक :- 25-10-23

इसकी एक प्रति श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा को भेजकर लिखा जाता है कि आप अपनी शिकायत के संबंध में उपरोक्त निर्धारित समय व स्थान पर सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें।

कृते: जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

(5)

प्रेषक

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

जिला शिक्षा अधिकारी,
सिरसा।

क्रमांक 9529 /डीएमसी दिनांक 30-10-23

विषयः– **कारण बताओ नोटिस।**

विषयाधीन मामले में आपको लिखा जाता है कि कल दिनांक 31.10.2023 तक निम्न बिन्दुओ बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करेः–

1. जब अन्य अध्यापिकाओं को सी0सी0एल0 पुराने फोर्मट में दे दी गई तो श्रीमति सीमा कुमारी, जे0बी0टी0 अध्यापिका के केस में आपत्ति लगाकर वापिस क्यों की गई।
2. बहुत सारे केस में सी0सी0एल0 को extension का स्वरूप देते हुए बिना उचित प्रोर्फामा के सी0सी0एल0 ग्रांट की गई। कारण स्पष्ट करें।
3. जब श्रीमति सीमा कुमारी को सी0सी0एल0 एक बार ग्रांट कर दी गई तो उसको बिना फाईल पर कारण स्पष्ट किये किस कारण रिजेक्ट किया गया।
4. जब स्कूल की तरफ से प्रधानाचार्य ने एक अन्य अध्यपिका श्रीमती रिंकु देवी के कथन को सत्यापित करवाकर भिजवाया था कि वह श्रीमति सीमा देवी के सी0सी0एल0 अवधि के दौरान उनके वर्क लोड को लेने के लिए तैयार है, तब भी यह कैसे मान लिया कि अध्यापिकाओं की कमी है। अध्यापिको की कमी बारे प्रधानाचार्य की तरफ से कोई आपत्ति भी नही थी।
5. श्रीमति सीमा कुमारी, जेबीटी अध्यपिका के दो दिन का वेतन काटा गया है जिस बारे संबंधित अध्यापिका का कथन है कि यह दुर्भावना स्वरूप किया गया है। यह स्पष्ट करे कि आपने क्या कोई स्पीकिंग ऑडर जारी किये और आपको वेतन काटने की शक्तियां किस नियम के तहत प्रदत्त है।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको बार–2 सुनवाई में उपस्थित होने बारे लिखा गया था। आप द्वारा सुनवाई में अनुपस्थित रहने बारे कारण स्पष्ट करें।

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

(6)

प्रेषक

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
3. प्रधानाचार्य, रा0व0मा0 विद्यालय, अनाज मंडी, सिरसा।

क्रमांक 8897 – 8899 /डी.एम.सी. दिनांक 10-10-23

विषयः— महिला Harassment मामले के संबंध में – श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी अध्यापिका, जीपीएस अनाज मण्डी द्वारा दिनांक 08.12.2021 को सीसीएल के लिए दिये गये आवेदन पत्र की प्रति भेजकर लिखा जाता है कि इस आवेदन पत्र (दिनांक 08.12.2021) से एक माह पहले तथा एक माह बाद सी0सी0एल0 से संबंधित प्राप्त हुए आवेदन पत्रों तथा उन पर की गई कार्यवाही से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट (नोटिंग शीट, स्वीकृत/अस्वीकृत आदेश, डिस्पैच/डायरी रजिस्टर इत्यादि) सहित दिनांक 17.10.2023 तक प्रातः 11 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपरोक्त शिकायत के संबंध में जांच हेतु आप स्वयं व संबंधित कर्मचारी सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सलंग्नः— उपरोक्तानुसार

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 क्रमांक 8900-01 /डीएमसी दिनांक 10-10-23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर लिखा जाता है कि आप भी जांच कमेटी के सदस्य होने के नाते निर्धारित समय व स्थान पर जांच में भाग लेने हेतु उपस्थित होवें।

1. उप–अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सिरसा
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढ़ां।

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 क्रमांक 8902 /डीएमसी दिनांक 10-10-23

इसकी एक प्रति श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा को भेजकर लिखा जाता है कि आप अपनी शिकायत के संबंध में उपरोक्त निर्धारित समय व स्थान पर सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें।

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

89 दिन की CCL का प्रार्थना पत्र 63

E-i
8/12/21

सेवा में

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

सिरसा।

विषय : CCL लेने बारे।

श्रीमान् जी

सविनय निवेदन यह है कि मैंने कार्यालय मे 2-12-2021 से CCL के लिए प्रार्थनापत्र दिया था परन्तु इस बार भी अभी तक स्वीकृति पत्र नहीं मि है। फाइल पर कोई आपत्ति भी शेष नहीं है अत आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी पारिवारिक सि को देखते हुए मुझे 13-12-2021 से 11-03-202 तक 89 दिन की CCL देने का कष्ट करें। यह तकनीक का दौर है तो इस दौरान विभाग कि भी जाँच, जानकारी या सहायता के लिए कभी मुझसे किसी भी डिजिटल माध्यम से सम्पर्क क सकता है।

सधन्यवाद,

प्रार्थी Seema Kumari

सीमा कुमारी

जे. बी. टी.

G.P.S. अनाज मण्डी

सिरसा

Mob.No. 8684905140
9999336117

Jai Chand
8/12/2021
Head Teacher
G.M.S.P.S.
Anaj Mandi, Sirsa

* 89 दिन का प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी 90 दिन से CCL की गई, क्यों ?

* Clerk द्वारा किसी भी Date से order बना दिए जाते हैं, क

* DEEO को मेल व Message के बाद भी ठीक नहीं किया जाता, स्पष्ट है DEEO व clerk प्रार्थी को मानसिक, आर्थि सामाजिक Professionally हानि पहुँचा रहे हैं।

5

प्रेषक

डा0 किरण सिंह, एच.सी.एस.
जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

1. श्री आत्मप्रकाश, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अव जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा।
2. प्रधानाचार्य, रा0व0मा0 विद्यालय, अनाज मण्डी, सिरसा।
3. श्री नरेन्द्र, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा।

कमांक 7003-05 /डी.एम.सी. दिनांक 27/7/23

विषयः– महिला Harassment मामले के संबंध मे– श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमण्डी, सिरसा।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 4905--08 दिनांक 29.05.2023 के संदर्भ में।

2. विषयाधीन मामला बारे उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा शिकायत की जांच अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 30.05.2023 को प्रातः 11:30 बजे निर्धारित की गई थी। परंतु आप द्वारा शिकायत के संबंध में अपने ब्यान/रिकार्ड दर्ज नही करवाये गये है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 02.08.2023 को प्रातः 11:30 बजे शिकायत के संबंधित में सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें। जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा से अनुरोध है कि मामले में आपके विभाग द्वारा पूर्व में विषयांकित शिकायत की जो जांच की गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट भी साथ लेकर आवें तथा अपने विभाग से संबंधित उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भी जांच में उपस्थित होने के निर्देश देवें।

लेखाकार,
कृतेः जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 कमांक 7006-07 /डीएमसी दिनांक 27/7/23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर लिखा जाता है कि आप भी जांच कमेटी के सदस्य होने के नाते निर्धारित समय व स्थान पर जांच में भाग लेने हेतु उपस्थित होवेः–

1. उप–अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सिरसा।
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढ़ा।

लेखाकार,
कृतेः जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

5

प्रेषक

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

1. श्री आत्मप्रकाश, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अब जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा।
2. प्रधानाचार्य, रा0व0मा0 विद्यालय, अनाज मंडी, सिरसा।
3. श्री राजेश कुमार, लिपिक, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
4. श्री नरेन्द्र लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।

कमांक :- 4905-8 /डी.एम.सी. दिनांक 29/5/23

विषयः– **महिला Harassment मामले के संबंध में – श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा।**

उपरोक्त विषय पर उपायुक्त महोदय, सिरसा के पत्र कमांक 1214–16/डीसी/सी0ई0ए0 दिनांक 24.05.2023 के अनुसार विषयांकित शिकायत की जांच हेतु निम्न अधिकारियो/कर्मचारियों की कमेटी का गठन करते हुए जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर–2 भिजवाने हेतु लिखा गया हैः–

1. जिला नगर आयुक्त, सिरसा।
2. उप–अधीक्षक, का0 उपायुक्त, सिरसा।
3. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढा।

2. आपको विषयांकित शिकायत की प्रति भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त शिकायत की जांच जिला नगर आयुक्त महोदया, सिरसा द्वारा दिनांक 30.05.2023 को दोपहर 11:30 बजे इस कार्यालय के कमरा नं0 66 में की जानी निश्चित की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप निर्धारित समय व स्थान पर शिकायत के संबंध में सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें। जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा से अनुरोध है कि मामले में आपके विभाग द्वारा पूर्व में विषयांकित शिकायत की जो जांच की गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट भी साथ लेकर आवें तथा अपने स्तर पर अपने विभाग से संबंधित उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भी जांच में उपस्थित होने के निर्देश देवें।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

अधीक्षक, 29/5/23
कृतेः जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 कमांक 4909-10 /डीएमसी दिनांक 29/5/23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर लिखा जाता है कि आप भी जांच कमेटी के सदस्य होने के नाते निर्धारित समय व स्थान पर जांच में भाग लेने हेतु उपस्थित होवें।

1. उप–अधीक्षक, का0 उपायुक्त सिरसा
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढां।

अधीक्षक, 29/5/23
कृतेः जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 कमांक 4911 /डीएमसी दिनांक 29/5/23

इसकी एक प्रति श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा को भेजकर लिखा जाता है कि आप अपनी शिकायत के संबंध में उपरोक्त निर्धारित समय व स्थान पर सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें।

अधीक्षक, 29/5/23
कृतेः जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

(5)

प्रेषक

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

प्रेषित

1. श्री आत्मप्रकाश, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अब जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा।
2. प्रधानाचार्य, रा0व0म0 विद्यालय, अनाज मंडी, सिरसा।
3. श्री राजेश कुमार, लिपिक, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
4. श्री नरेन्द्र लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।

क्रमांक 8722-26 /डी.एम.सी. दिनांक 4/10/23

विषयः— **महिला Harassment मामले के संबंध में — श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा।**

उपरोक्त विषय पर उपायुक्त महोदय, सिरसा के पत्र क्रमांक 1443/Misc/CEA दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में।

2. विषयाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त शिकायत की जांच जिला नगर आयुक्त महोदया, सिरसा द्वारा दिनांक 06.10.2023 को दोपहर 11:00 बजे इस कार्यालय के कमरा नं0 66 में की जानी निश्चित की गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप निर्धारित समय व स्थान पर शिकायत के संबंध में सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें। जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा से अनुरोध है कि अपने स्तर पर अपने विभाग से संबंधित उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारियों को भी जांच में उपस्थित होने के निर्देश देवें।

सलंग्नः— उपरोक्तानुसार।

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 क्रमांक 8727-28 /डीएमसी दिनांक 4/10/23

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर लिखा जाता है कि आप भी जांच कमेटी के सदस्य होने के नाते निर्धारित समय व स्थान पर जांच में भाग लेने हेतु उपस्थित होवें।

1. उप–अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त सिरसा
2. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढां।

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

पृ0 क्रमांक 8729 /डीएमसी दिनांक 4/10/23

इसकी एक प्रति श्रीमति सीमा रानी, जेबीटी0 अध्यापिका, जी0पी0एस0 अनाजमंडी, सिरसा को भेजकर लिखा जाता है कि आप अपनी शिकायत के संबंध में उपरोक्त निर्धारित समय व स्थान पर सबूतो सहित जांच में उपस्थित होवें

जिला नगर आयुक्त,
सिरसा।

O/o District Elementary Education Officer, Sirsa
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सिरसा–125055 (हरियाणा)।

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
Lead me from Darkness to Light

off: Room No. 86 , 3rd Floor, Mini Secretariat, Barnala Road, Sirsa. Pin Code 125055 (Harynana) Tel. 01666-247899
E-mail: deeosirsa2@gmail.com, deeosirsa1@gmail.com

सेवा में,

मद नं. 6

1 श्रीमती सुनिता सांई, खण्ड शिक्षा अधिकारी, रानियां।
2 श्री कृष्ण कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिरसा

यादि कमांकः– ई0–2–2024 /
दिनांक :– 16–04–2024

विषय :– श्रीमती सीमा कुमारी जे0बी0टी0, रा0मॉ0सं0प्रा0पा0, अनाज मंडी शिकायत की जांच करने हेतु कमेटी गठन बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में श्रीमती सीमा कुमारी जे0बी0टी0, रा0मॉ0सं0प्रा0पा0, अनाज मंडी के विरूद्ध शिकायत का मामला प्राप्त हुआ है। इस शिकायत की जांच हेतू आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं कि अतः आपको आदेश दिए जाते है प्राप्त शिकायत की जांच निष्पक्षता से करके तीन दिन के अन्दर–अन्दर जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। ताकि आगामी कार्यवाही की जा सकें।
संलग्न :– शिकायत की प्रति।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
सिरसा। 16-4-24

...I, GMSPS अनाजमंडी सिरसा

---------- Forwarded message ---------
From: **Seema Yadav** <yadavsm88@gmail.com>
Date: Mon, 11 Dec 2023, 7:15 pm
Subject: Reminder 1 :- GMSSSS अनाजमंडी विद्यालय सिरसा में चल रही अनिमितताओं की जाँच हेतु
To: <deeosirsa1@gmail.com>, <deeosirsa2@gmail.com>, <deosirsa2@gmail.com>

श्रीमान 17.11.23 व 22.11.23 को मैंने GMSSSS सिरसा प्रधानाचार्य श्रीमान मदन मलिक व कुछ स्टाफ सदस्यों द्वारा मेरे खिलाफ की गई झूठी शिकायत पर स्पष्ट तथ्य व अपना पक्ष रखकर संबंधित शिकायत, विद्यालय अनियमित्ताओं व जाँच टीम द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के संबंध में कड़ी विभागीय व कानूनी कार्यवाही की माँग की थी। इतने संवेदनशील मामले पर सक्षम अधिकारी द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाना आवश्यक था लेकिन अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मामले पर अबतक कोई कार्यवाही नहीं की गई। महोदय से निवेदन है कृप्या अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

---------- Forwarded message ---------
From: **Seema Yadav** <yadavsm88@gmail.com>
Date: Wed, 22 Nov 2023, 4:53 pm
Subject: Re: GMSSSS अनाजमंडी विद्यालय सिरसा में चल रही अनिमितताओं की जाँच हेतु
To: <deeosirsa1@gmail.com>, <deeosirsa2@gmail.com>, <deosirsa2@gmail.com>

श्रीमान जी
निवेदन यह है कि मैं सीमा कुमारी GMSPS अनाज मंडी सिरसा में जेबीटी पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 16.11.2023 को विद्यालय में पहुँचे तीन सदस्यों द्वारा मुझे बताया गया कि मेरे खिलाफ complaint है, बिना पूरा वाक्या पूछे या सुने हर बात पर मुझे blame करने लगे, इससे पहले मैं कुछ समझ पाती मुझे complaint रिसीव करने के लिए धमकाने लगे व तू तड़ाक की भाषा बोलते हुए अभद्रता करने लगे। जैसा कि आपको विदित है मेरी harassment की शिकायत पर DC साहब के द्वारा जाँच जारी है,अचानक मेरे ही खिलाफ इस तरह की झूठी शिकायत व जाँच टीम के पक्षपातपूर्ण रवैये व दुर्व्यवहार के बाद मैं बुरी तरह रोने लगी और DC साहब को काउंटर complaint करने चली गई। प्रधानाचार्य जी द्वारा जो आरोप शिकायत पत्र में लगाए गए हैं उनपर मेरा पक्ष निम्न है-

*दिनांक 11.10. 23 को प्रधानाचार्य जी देर से विद्यालय आए और पूरा दिन विद्यालय में उपस्थित रहे। CL पर रहने बारे उनका कथन असत्य है। पूरा दिन कार्यस्थल पर रहने के बाद भी उनके द्वारा CL पर रहने बारे क्यों कहा गया, जाँच का विषय है।

*'Unauthorizedly came on stage' से क्या तात्पर्य है विद्यालय का कोई भी छात्र या अध्यापक स्टेज पर आकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। कृप्या मार्गदर्शन किया जाए कि स्टेज पर बोलने के लिए कौन-कौन ऑथराइज्ड है व स्टेज पर बोलने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? और अनुमति देने वाले को अनुमति का अधिकार किस नियम के तहत, किससे मिला है?

*Tried to provoke, mislead and misguide students-अगर मैंने छात्रों को गुमराह किया, भड़काया तो क्या मेरे कहने पर छात्रों के द्वारा कुछ अवांछित किया गया? यदि नहीं तो वहाँ उपस्थित हुए बिना प्रधानाचार्य जी द्वारा बिना तथ्यों को जाने किस आधार

ने मुझपर झूठी शिकायत दर्ज कराई? किसी के कहने मात्र से बिना जांच किए, इत बड़े आरोप उन्होंने किस आधार पर लगाए?

*Cried loudly- श्रीमान सुनील द्वारा सभी के सामने मुझसे माइक छीना, ऐसी अभद्रता व तानाशाही के बाद किसी को भी रोना आएगा।

* Threatened to commit suicide- बिना किसी पुख्ता सबूत के अपने शिकायत लिखी कि मैंने सुसाइड की धमक़ी दी। बच्चों के सामने मैं क्यों ऐसी धमकी दूंगी इससे मुझे क्या फायदा होने वाला था? DC स्तर पर मेरे मामले पर जाँच की जा रही है, मैं क्यों कुछ ऐसा कहूँगी जो मेरे खिलाफ हो व मेरा पक्ष कमजोर हो? स्पष्ट है मेरे कथन को अन्यथा पेश किया जा रहा है।

*Habbit of making false complaint- सीसीएल की फॉल्स कंप्लेंट के बारे में लिखा गया है जिसकी जांच डीसी महोदय द्वारा की जा रही है। सभी सबूत भी पेश किए जा चुके हैं। प्रिंसीपल महोदय द्वारा किस आधार पर कंप्लेंट को बिना जांच पूरी हुए झूठा बता दिया गया। इसका मतलब उनके द्वारा डीसी साहब व जांच अधिकारी पर झूठी कंप्लेंट की जांच करने का इलजाम लगाया जा रहा है।

* Threatened in office - सर द्वारा मेरी फाइल 15-15 दिन तक फॉरवर्ड नहीं की गई, जानबूझकर परफॉर्म खराब किए गए, नॉट रिकमेंड लिखकर फाइल को आगे भेजा गया, हर बार पक्षपातपूर्ण व अनैतिक व्यवहार किया। इसके बाद कर्मचारी अगर उनकी उच्च अधिकारियों से शिकायत बारे कहेगा तो इसको धमकी की संज्ञा दी जाएगी।

*Passing indecent and filthy remarks against seniors- कानून सबके लिए समान है कोई अधिकारी है या कर्मचारी। अगर किसी के साथ गलत होगा तो उसको अपने सीनियर के खिलाफ भी बोलने व लिखने का पूरा अधिकार है।

*Reporting late to school अगर ऐसा हुआ तो सक्षम अधिकारी होने के नाते प्रधानाचार्य जी द्वारा आज तक क्या कार्रवाई की गई? आप कर्मचारी की CL, EL काटने के लिए स्वतंत्र थे। अगर ऐसा नहीं है तो किस आधार पर आपके द्वारा यह आरोप लगाया गया?

*Noisence and melodrama - यदि कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, पक्षपात नहीं होगा तो इन सबके लिए पुख्ता सबूत कहां से लाएगा और ऐसा करने में कौन उसकी सहायता करेगा। यह आरोप भी निराधार है।

स्टेज पर बोलने से पहले मैंने वाइस प्रिंसिपल श्रीमान सुनील कुमार से अनुमति ली और वह माइक देकर किसी से मिलने प्रार्थना स्थल से ऑफिस की तरफ चले गए, किसी स्टाफ मेम्बर के द्वारा फोन पर सूचना के बाद वो तेजी से वापिस आए और बिना कुछ सोचे समझे स्टेज पर आकर माइक छीनने लगे, तो किस आधार पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि मैंने क्या और किस संदर्भ में बोला?

स्टाफ मेंबर की स्टेटमेंट बारे स्पष्ट किया जाता है की मेरे कथन के संबंध में पुख्ता सबूत पेश किए जाए। अपने पदप्रभाव, किसी लालच या डर से किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी

ऐसे कथन लिखवा लेना अधिकारी के लिए सामान्य बात है।
प्राथमिक स्टाफ के कुछ खास मेंबर से मेरे खिलाफ हर बार लिखवा लिया जाता है जो खुद गलत है। एक महिला टीचर जिनके कान का ऑपरेशन हो रखा है वह प्रार्थना स्थल पर मौजूद ही नहीं थी इसके बावजूद उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दी स्पष्ट है। स्पष्ट है कोई भी अधिकारी के प्रभाव में स्टेटमेंट दे देगा। सीनियर विंग से भी चुनिंदा स्टाफ साइन करता है चाहे वो घटना के वक्त मौजूद हो या न हो।
पहले हुई जांच के बारे में DC साहब को बता दिया गया था कि श्रीमान आत्मप्रकाश के खिलाफ शिकायत थी तो जाँच टीम द्वारा गैरकानूनी व अनैतिक तरीके से उनके ही कार्यालय में बुलाकर डराया,धमकाया व दबाव बनाया गया। जांच टीम द्वारा कोई भी जांच रिपोर्ट न बताई गई न ही दिखाई गई। उसमें किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ कहा गया कि आगे से मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी संबंधित कर्मचारी मुझे टारगेट कर मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हानि पहुंचाते रहे।
प्रधानाचार्य जी द्वारा निम्न पर क्या एक्शन लिया गया-
जाँच टीम ने अभद्रता की, महिला जाँच अधिकारी साथ होने के बाद भी प्रधानाचार्य ओमप्रकाश द्वारा बिना मेरी अनुमति के सिर्फ मेरे बोलने पर मेरी वीडियो बनाई गई। इसपर श्रीमान द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
यदि स्टाफ के द्वारा मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दी गई तो प्रधानाचार्य जी द्वारा निष्पक्ष रहकर मुझे स्टेटमेंट दिखाकर उसपर अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि सोची समझी साजिश के तहत शिकायत घड़ी जा रही हैं।
स्टाफ के नियम से ज्यादा CL,सेवा पुस्तिका में EL आदि दर्ज न होने बारे क्या कार्यवाही हुई।
प्रधानाचार्य जी स्वंय देर से विद्यालय आते हैं डीएमसी इंक्वारी के दौरान DMC सर के पूछने पर बताया कि कोई पीरियड भी नहीं लेते,जबकि विभाग द्वारा प्रधानाचार्य को भी पीरियड लेने के निर्देश है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की जिम्मेवारी किसकी है?
मेरे द्वारा अपनी हरासमेंट संबंधी शिकायत 3.12.2021 को विद्यालय में भी मेल की गई थी, बाद में अन्य मेल भी की गई। श्रीमान द्वारा उनपर क्या उचित कार्रवाई की गई।
प्राइमरी इंचार्ज द्वारा विगत 3 वर्षों से ना तो कोई पीरियड लिया गया ना कोई कक्षा रखी गई।
विगत कुछ महीनों से बिमला मैडम की कक्षा एक बाहरी लड़की द्वारा संभाली जा रही थी, जोकि JBT ट्रेनी बताई गई। किस नियम व किसके आदेश से शिक्षक के उपस्थित होते हुए उनकी कक्षा की जिम्मेदारी किसी बाह्य व्यक्ति को दी गई?
बिना दोबारा फ़ाइल भेजे,विद्यालय से बिना फारवर्ड हुए,बिना परफॉर्मा के गैरकानूनी तरीके से CCL एक्सटेंड कर दी गई।

पेज नं. 7

सेवा में   मौलिक

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी,
सिरसा

विषय:- श्रीमति सीमा कुमारी JBT GMSPS, Anaj Mandi सिरसा के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध मे

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक ई-2-2023/657-60 दिनांक 07-11-2023 की अनुपालना में आप द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी जांच हेतु प्रधानाचार्य GMSSSS Sirsa के कार्यालय में उपस्थित हुए। जांच हेतु श्रीमति सीमा कुमारी JBT को उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। इस दौरान विद्यालय Staff सहित व प्रधानाचार्य तथा HT महोदय भी उपस्थित रहे। जांच के दौरान संबंधित अध्यापिका अचानक से बहस करने लगी और किसी भी प्रकार से लिखित ब्यान देने से मना करने लगी। अचानक से अध्यापिका ने अपने आप ही बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति (दर्ज) कर कार्यालय से बाहर निकल गई। लेकिन वे विद्यालय से बाहर नहीं गई और विद्यालय Staff से बात करने लगी। जांच के दौरान ABRC ने भी बातचीत के दौरान इनके अनियंत्रित व्यवहार की जानकारी दी। सभी अध्यापक साथी भी मान रहे थे कि अध्यापिका का व्यवहार असंयमित है। जांच के दौरान अध्यापिका ने आत्महत्या की भी धमकी दी जिसके कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया।

जांच कमेटी लगभग 2½ घंटे विद्यालय में रही और विद्यार्थियों से भी बातचीत की जिसमें शिकायत की पुष्टि हुई लेकिन अध्यापिका द्वारा सहयोग न करने के कारण जांच अधूरी रह गई।

Sd/-
प्रधानाचार्य
PMShri GSSS Odhan

Sd/- 16/11/2023
(BEO Baragudha)

Sd/-
Principal
GSSS Rampura
[illegible]
16/11/23

दिनांक: 21/...

E-2

(9)

जाँच कमेटी
प्राधानाचार्या रा० व० मा० वि० खैरपुर
प्राचानाचार्य रा० व० मा० वि० पनिहारी

B.E.O
22/6/22

Block Education Officer Sirsa-II No. 4045 Dt. 22/6/22

सेवा में,
खण्ड शिक्षा अधिकारी
सिरसा 2.

विषय:- श्रीमती सीमा कुमारी JBT GPS अनाज मण्डी सिरसा द्वारा की गई शिकायत की जाँच बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक E-2-22/9255-56 दिनांक 19/05/22 की अनुपालना में 21/05/22 को GPS अनाज मण्डी में जाकर अध्यापिका सीमा रानी से जानकारी ली गई और उनकी समस्या को विस्तार से सुना गया। तथा उनकी समस्या की जानकारी अन्य स्टाफ, H.T एवं Principal GMSSS Sirsa से भी ली गई। सभी ने अपनी-अपनी स्टेटमेंट दी जिससे स्पष्ट होता है कि सीमा रानी अपनी C.C. स्वीकृत करवाने के लिये Proper channel case भेजने की बजाये जल्दी Sanction करवाने के लिये सीधा कार्यालय में गई। और उसने B.E.O ऑफिस के कलर्क राजेश कुमार को उनकी application जल्दी भिजवाने को कहा। इसी दौरान दफ्तर में कार्य की अधिकता के कारण दोनों की आपस में कहासुनी हुई।

इसी सम्बंध में दिनांक 30/05/22 को खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में राजेश कुमार कलर्क और D.E.E.O कार्यालय से नरेन्द्र कुमार कलर्क को बुलाया गया उनसे भी पूछताछ की गई। उनके अनुसार
1 उन्होंने सीमा रानी को कुछ भी जानबूझ कर गलत नहीं कहा गया
2 फिर भी यदि सीमा रानी को कोई बात गलत लगी तो उनके
3. लिखित में क्षमा मांगी गई। लेकिन सीमा रानी इससे सन्तुष्ट नहीं हुई जो कि साथ संलग्न है।

4 इसके बाद B.E.O ऑफिस के अन्य कर्मचारियों से भी पूछा और उन्होंने भी राजेश कुमार के व्यवहार के बारे में लिखकर ...

(2)

ऑफिस के क्लर्क से भी C.C.L स्वीकृती एवं रद्द करने पूछा गया। तो उन्होंने इसका कारण बताया कि उसी वक्त ... से 2-3 अध्यापिकायें पहले से ही C.C.L पर थीं इसलिए C.C.L जल्दी बाजी में स्वीकृत कर दी गई थी उसे अगले दिन रद्द कर दिया गया।

समस्त जाँच उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि श्रीमती सीमा रानी JBT. अपने घर परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रही है और उनके बताये अनुसार वो अपनी पारिवारिक समस्या के कारण परेशान थी और इसलिये उसने नियम के विरुद्ध जाकर B.E.O office के क्लर्क पर दबाव बनाया कि उसकी छुट्टी जल्दी Sanction करवाई जाये। B.E.O office के क्लर्क राजेश भी काम में व्यस्त था। जिससे उनकी आपस में कहासुनी हुई। अतः सीमा रानी को भी यह निर्देश दिया जाये कि वह भविष्य में अपनी अर्जी उचित माध्यम से ही भेजें। और कार्यालय (BEO & DEEO) से भी आग्रह किया जाता है। कि किसी भी कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत करने से पहले समस्त जाँच कर ली जाये ताकि रद्द करने की नौबत न आये।

अतः जाँच की रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतू आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्न :-

1. राजेश व नरेन्द्र की मार्कीनामा
2. सीमा रानी की स्टेटमेंट
3. Principal, H.T & other Staff G.P.S. Anajmandi Statements
4. Rajesh clerk and other Clerks of B.E.O office written Statement

Page No. 1 to 21

Principal

21/6/22

...ipal ...Sec. School